

निर्वाचन संख्या पौ0टी0-40



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन 1943 (श०)  
(सं० पटना ७७) पटना, बुधवार, ९ मार्च 2022

#### निर्वाचन विभाग

अधिसूचना  
९ मार्च 2022

सं० एम-०१-०१/२०२२-०६—बिहार विधान परिषद के 24 (चौदोरी) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के टिक्कार्पिक निर्वाचन, 2022 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) का घारा 16 के अनुसरण में संयोजित महामहिम राज्यपाल, बिहार द्वारा अनुमोदित अधिसूचना संख्या—एम-०१-०१/२०२२-०५ दिनांक ०९.०३.२०२२ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या-३२२/बिहार-वि.प.-रथा.प्रा./२०२१ दिनांक ०९.०३.२०२२ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

आदेश से और राज्यपाल के नाम से,

भियिलेश कुमार साहू,

संयुक्त सचिव—सह—

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

## निर्वाचन विभाग

अधिसूचना  
9 मार्च 2022

क्रं : एम-01-01/2022-05—यतः, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में दी गई संख्या के अनुसार, सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट 24 (चौबीस) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से विहार राज्य की विधान परिषद् के 24 (चौबीस) सदस्यों के स्थान सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित तारीख को उन सदस्यों की पदावधि के अवसान पर सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त होने वाले हैं; और

यतः, इस प्रकार उत्पन्न होने वाली 24 (चौबीस) रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाना है; और

यतः उक्त स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र से राज्य विधान परिषद् के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कार्यवधि एस.एल.पी. (सी) संख्या 17123/2015 (भारत निर्वाचन आयोग बनाम् देवेश चंद्र ठाकुर व अन्य) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा 09 मार्च, 2022 (वृश्चिक) को ऐसी तारीख के रूप में सिफारिश करता है जिस तारीख को विहार राज्य के राज्यपाल शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपर्योग के अनुसार, उक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से राज्य की विधान परिषद् के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उस निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं।

## सारणी

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या	सेवानिवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)
पटना स्थानीय प्राधिकारी	1	
नालन्दा स्थानीय प्राधिकारी	1	
गया और जहानाबाद और अरबल स्थानीय प्राधिकारी	1	
ओरंगाबाद स्थानीय प्राधिकारी	1	
नवादा स्थानीय प्राधिकारी	1	
भोजपुर और बक्सर स्थानीय प्राधिकारी	1	
रोहतास और कैम्पुर स्थानीय प्राधिकारी	1	
झारण स्थानीय प्राधिकारी	1	
सिवान स्थानीय प्राधिकारी	1	
गोपालगंज स्थानीय प्राधिकारी	1	
पश्चिम चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी	1	
पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी	1	
मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकारी	1	
देशाली स्थानीय प्राधिकारी	1	
सीतामढी और शिवहर स्थानीय प्राधिकारी	1	
दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी	1	
समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकारी	1	
मंगौर और जगदुई और लखीसराय और शेखपुरा स्थानीय प्राधिकारी	1	
देवपुराय और खगडिया स्थानीय प्राधिकारी	1	
सहरसा और मधेपुरा और सूपोल स्थानीय प्राधिकारी	1	
भागलपुर और बांका स्थानीय प्राधिकारी	1	
मध्यबनी स्थानीय प्राधिकारी	1	
पूर्णिया और अररिया और किशनगंज स्थानीय प्राधिकारी	1	
कटिहार स्थानीय प्राधिकारी	1	

16.07.2021

आदेश से और राज्यपाल के नाम पर,

मिथिलेश कुमार साहु

संयुक्त सचिव -सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, विहार।

**Election Department**

**Notification**  
The 9th March 2022

No. : M-1-01/2022-05—WHEREAS, the seats of 24 (Twenty four) members of the Legislative Council of the State of Bihar, elected from 24 (Twenty four) Local Authorities' Constituencies, specified in column (1) of the TABLE below, as per the numbers shown in the corresponding entries in column (2) of the TABLE, have fallen vacant, on the dates mentioned in the corresponding entries in column (3) of the TABLE; and

WHEREAS, a biennial election has to be held for the purpose of filling the 24 (Twenty four) vacancies so arising; and

WHEREAS, the term of office of the member(s) to be elected to the State Legislative Council from the said Local Authorities' Constituency shall be subject to the decision of the Hon'ble Supreme Court of India in SLP(C) No. 17123/2015 (Election Commission of India Vs Devesh Chandra Thakur & Others);

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India in pursuance of Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the said Local Authorities' Constituencies, specified in column (1) of the TABLE below, to elect the number of members, specified against that Constituency in column (2) of the said TABLE, to the Legislative Council of the State, for the purpose of filling the above vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

**TABLE**

Name of Local Authorities' Constituency (1)	No. of members to be elected (2)	Date of retirement (3)
Patna Local Authorities'	1	
Nalanda Local Authorities'	1	
Gaya-cum-Jahabad-cum-Arwal Local Authorities'	1	
Aurangabad Local Authorities'	1	
Nawada Local Authorities'	1	
Bhojpur-cum-Buxar Local Authorities'	1	
Rohtas-cum-Kaimur Local Authorities'	1	
Saran Local Authorities'	1	
Siwan Local Authorities'	1	
Gopalganj Local Authorities'	1	
West Champaran Local Authorities'	1	
East Champaran Local Authorities'	1	
Muzaffarpur Local Authorities'	1	
Vaishali Local Authorities'	1	
Sitamarhi-cum-Sheohar Local Authorities'	1	
Darbhanga Local Authorities'	1	
Samastipur Local Authorities'	1	
Munger-cum-Jamui-cum-Lakhisarai-cum-Sheikhpura Local Authorities'	1	
Begusarai-cum-Khagaria Local Authorities'	1	
Saharsa-cum-Madhepura-cum-Supaul Local Authorities'	1	
Bhagalpur-cum-Bankia Local Authorities'	1	
Madhubani Local Authorities'	1	
Purnea-cum-Araria-cum-Kishanganj Local Authorities'	1	
Katihar Local Authorities'	1	

By order and in the name of the Governor,  
Mithilesh Kumar Sahu,  
*Joint Secretary-cum-*  
*Joint Chief Electoral Officer, Bihar.*

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001/ दिनांक: 09 मार्च, 2022 फाल्गुन 18, 1943 (शक)

सं. 322/विहार-वि.प.स्था.प्रा./2021 – यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में 09 मार्च, 2022 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विहार राज्य के राज्यपाल ने, विहार राज्य की विधान परिषद् के लिए नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें।

## सारणी

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या	सेवानिवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)
पटना स्थानीय प्राधिकारी	1	
नालन्दा स्थानीय प्राधिकारी	1	
गया और जहानाबाद और अरबल स्थानीय प्राधिकारी	1	
औरंगाबाद स्थानीय प्राधिकारी	1	
नवादा स्थानीय प्राधिकारी	1	
भोजपुर और बक्सर स्थानीय प्राधिकारी	1	
रोहतास और कैम्पुर स्थानीय प्राधिकारी	1	
सारण स्थानीय प्राधिकारी	1	
सिवान स्थानीय प्राधिकारी	1	
गोपालगंज स्थानीय प्राधिकारी	1	
पश्चिम चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी	1	
पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी	1	
मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकारी	1	
बैशाली स्थानीय प्राधिकारी	1	
सीतामढ़ी और शिवहर स्थानीय प्राधिकारी	1	
दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी	1	
समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकारी	1	
मुंगेर और जमुई और लखीसराय और शेखमुरा स्थानीय प्राधिकारी	1	
बेगूसराय और खगड़िया स्थानीय प्राधिकारी	1	
सहरसा और मधेपुरा और सुपौल स्थानीय प्राधिकारी	1	
भागलपुर और बांका स्थानीय प्राधिकारी	1	
मधुबनी स्थानीय प्राधिकारी	1	
पूर्णिया और अरारिया और किशनगंज स्थानीय प्राधिकारी	1	
कटिहार स्थानीय प्राधिकारी	1	

16.07.2021

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	16 मार्च, 2022 (वुधवार)
(ख)	नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	17 मार्च, 2022 (गुरुवार)
(ग)	अध्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	21 मार्च, 2022 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो भत्तदान होगा	04 अप्रैल, 2022 (सोमवार)
(ड.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा;	11 अप्रैल, 2022 (सोमवार)

नियत करता है, और

(आ) 08:00 बजे पूर्वाहा से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो विनिर्दिष्ट तारीख को भत्तदान होगा।

आदेश से,  
सुमन कुमार दास,  
सचिव।

#### ELECTION COMMISSION OF INDIA

#### NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi. /Dated: 09<sup>th</sup> March, 2022 Phalguna 18, 1943 (Saka)*

No. 322/BR-LC-LAC/2021: - WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the State on 09<sup>th</sup> March, 2022, been pleased to call upon each of the Council Constituencies, specified in Column (1) of the TABLE below, to elect the number of member(s) specified against that constituency in column (2) of the said TABLE, to the Legislative Council of the State of Bihar:-

TABLE

Name of Local Authorities' Constituency (1)	No. of members to be elected (2)	Date of retirement (3)
Patna Local Authorities'	1	
Nalanda Local Authorities'	1	
Gaya-cum-Jahanabad-cum-Arwal Local Authorities'	1	
Aurangabad Local Authorities'	1	
Nawada Local Authorities'	1	
Bhojpur-cum-Buxar Local Authorities'	1	
Rohtas-cum-Kaimur Local Authorities'	1	
Saran Local Authorities'	1	
Siwan Local Authorities'	1	
Gopalganj Local Authorities'	1	
West Champaran Local Authorities'	1	
East Champaran Local Authorities'	1	
Muzaffarpur Local Authorities'	1	
Vaishali Local Authorities'	1	
Sitamarhi-cum-Sheohar Local Authorities'	1	
Darbhanga Local Authorities'	1	
Samastipur Local Authorities'	1	
Munger-cum-Jamui-cum-Lakhisarai-cum-Sheikhpura Local Authorities'	1	
Begusarai-cum-Khagaria Local Authorities'	1	

16.07.2021

Saharsa-cum-Madhepura-cum-Supaul Local Authorities'	1	
Bhagalpur-cum-Banka Local Authorities'	1	
Madhubani Local Authorities'	1	
Purnea-cum-Araria-cum-Kishanganj Local Authorities'	1	
Katihar Local Authorities'	1	

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 30 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby –

- (A) appoints, with respect to the said election, –
  - (a) the 16<sup>th</sup> March, 2022 (Wednesday), as the last date for making nominations;
  - (b) the 17<sup>th</sup> March, 2022 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
  - (c) the 21<sup>st</sup> March, 2022 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - (d) the 04<sup>th</sup> April, 2022 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - (e) the 11<sup>th</sup> April, 2022 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 08:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,  
 SUMAN KUMAR DAS,  
*Secretary.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 विहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 विहार गजट (असाधारण) 99-571+50-डी०टी०पी०।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>